तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
	बाद तस्दीक शाकिला मिलान किया गया। प्रतिवादी सं० 3 की तामील कामिल रूप से होकर आज बावजूद उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते साक्ष्य एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.10.19 को पेश हो।	
21/10/19	वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला का जवाब बिन्दुवार लिया जाना आवश्यक है। नहीं जारी हो। पत्रावली वास्ते पेश ~~होने~~ जवाब प्रतिवादी सं० 3 हेतु नियत दिनांक 18/11/19 को पेश हो।	
18/11/19	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उप./अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 2/12/19 को पेश हो।	
2/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। जवाब प्रतिवादी सं० 3 पेश हुआ। शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/12/19 को पेश हो।	
5/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान पूर्व आदेशानुसार नियत दिनांक 16/12/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16/12/19 पत्रावली पेश हुई। बहस
वादीगण सुनी गयी दौरान बहस वकील
वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों
के अनुसार कथन किया कि वाद ग्रस्त
भूमि ख०नं० 1018 ता 1020 किता-3 रकबा
2.13 है० तन ग्राम होद तहसील खण्डेला
जिला सीकर का क्रय वादी व वादी के
भाई प्रतिवादी नं0 1 व 2 तथा इनके मृतक
पिता मुन्ना पुत्र लालुराम ने $\frac{1}{3}$ हिस्सा को
बहिस्सा बराबर क्रय किया था। जिसका नाम सं0
76 दिनांक 22.03.1990 को तस्दीक होकर
वादी को भी खातेदारी प्राप्त हुई। क्रय करने
के दिन से वादी अपनी भूमि पर काबिज
काश्त चला आ रहा है। परन्तु सम्वत 2058
से 2067 की जमाबंदी में से वादी का
हजफ कर दिया गया जो कानून गलत
है। वादी वाद ग्रस्त भूमियों के हिस्सा $\frac{1}{3}$
में ~~हिस्सा~~ $\frac{1}{4}$ हिअर्थात कुल $\frac{1}{3}$ हिस्सा में से
$\frac{1}{12}$ हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार
है। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकि है।
इसलिए वादी $\frac{1}{9}$ हिस्सा व प्रतिवादी सं0
1 व 2 प्रत्येक $\frac{1}{9}$ - $\frac{1}{9}$ हिस्सा का खातेदार
घोषित किया जावे तथा वादी के पिता मृतक
मुन्नाराम पुत्र लादुराम का नाम राजस्व रिकार्ड

Scanned by CamScanner

से नाम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार खण्डेला ने जवाब में निवेदन किया कि ~~खसरा~~ रापट जमाबन्दी संवत 2054-2057 तक नामान्तकरण सं० 76 का अमल रहा परन्तु जमाबन्दी संवत 2058-2061 में जमाबन्दी तैयारी के दौरान सहवन से रामरख पुत्र मुन्ना का हिस्सा हट गया तथा शेष हिस्से में मुन्नाराम पुत्र लालुराम, भागीरथ, जोरवरामपिता मुन्नाराम जाति कुम्हार हि.ब.हि $\frac{1}{3}$ रह गया जो वर्तमान जमाबंदी तक चला आ रहा है। अतः वर्तमान जमाबंदी संवत 2074-77 में जोरव पुत्र मुन्नाराम हिस्सा $\frac{1}{9}$ मुन्नालाल $\frac{1}{9}$ भागीरथ पुत्र मुन्ना हिस्सा $\frac{1}{9}$ के स्थान पर जोरवराम पुत्र मुन्नाराम हिस्सा $\frac{1}{12}$ भागीरथ पुत्र मुन्नाराम हिस्सा $\frac{1}{12}$, मुन्नालाल पुत्र लालुराम हिस्सा $\frac{1}{12}$, रामरख पुत्र मुन्नाराम हिस्सा $\frac{1}{12}$ का अमल किया जाना उचित है।

जवाब तहसीलदार खण्डेला से सहमत हैं। कागजात का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार खण्डेला के जवाब स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश जारी फरमाया जाता है कि :-

आदेश

भूमि ख० न० 1018 से 1020 किता-3

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
रकबा 2.13 हे० तन ग्राम होद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में जोखराम पुत्र मुन्नाराम हिस्सा 1/3, भागीरथ पुत्र मुन्नाराम हिस्सा 1/3, मुन्नालाल पुत्र पुत्र लालुराम हिस्सा 1/3 के स्थान पर जोखराम पुत्र मुन्नाराम हिस्सा 1/12, भागीरथ पुत्र मुन्नाराम हिस्सा 1/12, मुन्नालाल पुत्र लालुराम हिस्सा 1/12, रामसुख पुत्र मुन्नाराम को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी भांति डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 16.12.19 (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner